F–07–08
F–07–11

सेना उड़नयोग्यता और प्रमाणीकरण केंद्र
CENTRE FOR MILITARY AIRWORTHINESS & CERTIFICATION

रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन

DEFENCE R&D ORGANISATION

भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय

GOVERNMENT OF INDIA

MINISTRY OF DEFENCE

मारत्तहल्ली कालोनी पोस्ट, बेंगलूरु – 560 037

MARATHAHALLI COLONY P.O

BENGALURU – 560 037

वर्ग अनुमोदन सं. : 880 का संशोधन सहित नवीकरण
Amendment cum Renewal of Type Approval Number: 880

विषय / Sub : एविएशन टर्बाइन फ्यूल (एटीएफ) टाइप के-50

Aviation Turbine Fuel (ATF) Type K – 50

यह घोषित किया जाता है कि **मेसर्स रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड (आरआईएल)**, रिफाइनरी डिविजन, गाँव मेघपुर/ पदना तलुक: लालपुर, जामनगर – 361 280, गुजरात, द्वारा स्वदेशीय रूप से विकसित तथा उत्पादित **"एविएशन टर्बाइन फ्यूल (एटीएफ) टाइप के-50"** को संदर्भ सं.: सेमिलैक/5070/टीए-880, दिनांक 02 अगस्त 2000, द्वारा वर्ग अनुमोदन सं.: 880 जारी किया गया था। तदुपरांत संदर्भ सं.: सेमिलैक/5070/टीए-880/2ए/4आर, दिनांक 09 दिसम्बर 2013 द्वारा संशोधन सहित नवीकरण जारी किया गया जिसकी वैधता 31 दिसम्बर 2018 तक है।

*This is to state that the **"Aviation Turbine Fuel (ATF) Type K–50,** indigenously developed and produced by **M/s Reliance Industries Limited (RIL)**, Refinery Division, Village Meghpur / Padana Taluk: Lalpur, Jamnagar – 361 280, Gujarat was issued with Type Approval No.: 880 vide Reference No.: CEMILAC/5070/TA–880, dated: 02nd August 2000. This was subsequently amendment cum renewal was issued vide Reference No.: CEMILAC/5070/TA–880/2A/4R, dated: 09th December 2013 with its validity up to 31st December 2018.*

2. आरसीएमए (एफ एंड एफ – एफओएल) के पत्र सं: आरसीएमए (एफ एंड एफ – एफओएल)/118/ 2017, दिनांक 28 अगस्त 2018 के द्वारा नवीकरण एवं संशोधन के लिए अनुरोध पर, निम्नलिखित संशोधन वर्ग अनुमोदन के विषय तथा इसके परिशिष्ट 'ए' में लागू होता है:

Based on request for renewal and amendment from RCMA (F & F–FOL) vide their letter Ref. No.: RCMA (F & F–FOL) / 118 / 2017, dated: 28th August 2018, the following amendment is effected in the subject Type Approval and its Appendix 'A':

Wherever / for	***Read as***
Governing Specification: *IS 1571: 2001 (Eighth Revision)*	***Governing Specification:*** ***IS 1571: 2008 (Eighth Revision)***

3. यह प्रमाणित किया जाता है कि इस वर्ग अनुमोदन का नवीकरण **01 जनवरी 2019** से संतोषजनक निष्पादन प्रतिपुष्टि के आधार पर किया जाता है तथा **31 दिसम्बर 2023** तक वैध है बशर्ते इसे स्थगित, निरस्त या रद्द नहीं किया जाता। विक्रेता को इस वर्ग अनुमोदन की अवधि समाप्त होने के **तीन (03) महीने** पहले ही अनुवर्ती नवीकरण के लिए निष्पादन फीडबैक, उत्पादित मात्रा, अगर कोई अस्वीकरण है तो उसे और उसके कारण को सम्मिलित करते हुए सभी संलग्न दस्तावेजों के साथ **आर.सी.एम.ए (एफ एंड एफ - एफ ओ एल),** डी आर डी ओ, सेमिलैक, बैंगलूरु – 560 017 , से अनुरोध करना होगा।

*This is to **certify** that the Type Approval is hereby renewed w.e.f. **01st January 2019** based on the satisfactory performance feedback and is valid up to **31st December 2023** unless otherwise suspended, cancelled or revoked. For subsequent renewal, the vendor shall request **RCMA (F&F–FOL)**, CEMILAC, DRDO, C/o M/s Hindustan Aeronautics Limited, Foundry and Forge Division, Bengaluru – 560 017 **three (03) months** before the expiry of Type Approval, with all relevant documents including performance feedback, quantity produced & rejections, if any, and its cause.*

4. संदर्भ सं. सेमिलैक/5070/टीए–880, दिनांक 02 अगस्त 2000 द्वारा जारी मूल वर्ग अनुमोदन प्रमाणपत्र के अनुच्छेद (05) पाँच में निम्नलिखित संशोधन लागू है।

The Para (05) five of original Type Approval Certificate vide Reference No.: CEMILAC/5070/TA – 880, dated: 02nd August 2000.

"[अगर इस टाइप रिकोर्ड के एसओपी और घोषित निष्पादन में कोई परिवर्तन करना हो तो सेना उड़नयोग्यता और प्रमाणीकरण केंद्र (**सेमिलैक**), बेंगलुरु – 560 037 की पूर्व सहमति लेनी होगी। यह वर्ग अनुमोदन किसी अन्य अभिकरण को स्थानांतरित नहीं किया जा सकता है।]"

"[Prior concurrence of Centre for Military Airworthiness & Certification ***(CEMILAC),*** *Bengaluru – 560 037, is to be obtained to adopt any changes in the SOP and in the declared performance indicated in the Type Record. The Type Approval is not transferable to any other agency]".*

5. प्रारंभिक वर्ग अनुमोदन प्रमाणपत्र में अनुबद्ध अन्य सभी शर्तें वही रहेंगी और पूर्णतः लागू होगा।

All other conditions stipulated in the initial type approval certificate remain unaltered, and fully applicable.

सं. / No.: सेमिलैक / CEMILAC/ 5070 /टी.ए /TA – 880 / 5R

दिनांक / Date : 27 December 2018

फैक्स सं. / Fax No.: 080 – 2523 0856

27th Dec 18

Gouda

(गंतायत गौड़ा /G. Gouda)
उत्कृष्ट वैज्ञानिक / Outstanding Scientist
स्थानामन्न मुख्य कार्यपालक(उड़नयोग्यता)
Offg. Chief Executive (Airworthiness)